भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 203
06 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: फसल बीमा के लाभ

***203. श्री वीरेन्द्र सिंहः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में किसान फसल बीमा की जटिल प्रक्रियाओं के कारण इसका लाभ आसानी से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दस वर्षों के दौरान सरकार द्वारा फसल बीमा कंपनियों को कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) इस संबंध में जारी की गई धनराशि की तुलना में किसानों को बीमा दावा लाभ के रूप में वर्ष-वार कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(घ) क्या सरकार का किसानों के हित में फसल बीमा संबंधी नियमों को सरल बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का इस संबंध में कोई विशेषज्ञ समिति गठित करने और उससे सुझाव प्राप्त करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो समिति का गठन कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (च) : विवरण सदन में रख दिया गया है।

'फसल बीमा के लाभ' के संबंध में लोक सभा में दिनांक 06.08.2024 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 203 के भाग (क) से (च) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क): जी नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) किसानों के लिए एक सरल योजना है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप, इस योजना को किसान हितैषी और अफोर्डेबल बनाया गया है, जिसका प्रमाण वर्ष 2023-24 के दौरान इस योजना में किसानों की अधिक भागीदारी होना है। वास्तव में, इस योजना में अब तक का सर्वाधिक क्षेत्रफल तथा सर्वाधिक किसानों का कवरेज शामिल है। योजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की अहम भूमिका है और केंद्र सरकार की भूमिका मुख्य रूप से पॉलिसी बनाने तक ही सीमित है। हालांकि, केंद्र सरकार ने योजना को अधिक किसान -हितैषी बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) **डिजीक्लेम:** इससे पहले दावों के निपटान पर नज़र रखना कठिन था, क्योंकि दावों का निपटान बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता था। दावा निपटान/संवितरण प्रक्रिया को अंत तक सख्ती से ट्रैक/निगरानी करने के लिए, खरीफ 2022 से दावों की गणना और भुगतान के लिए '**डिजीक्लेम मॉड्यूल**' नामक एक समर्पित मॉड्यूल का प्रचालन किया गया है। इस मॉड्यूल के तहत नेशनल क्रॉप इन्शोरेंश पोर्टल (एनसीआईपी) को पब्लिक फाईनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत करके दावों का निर्धारण और निपटान/वितरण किया जाता है, ताकि सभी दावों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटान किया जा सके। योजना के प्रावधानों के अनुसार, दावों के विलंब से भुगतान के लिए बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को 12% दंड देना अनिवार्य है, जिसके लिए खरीफ 2024 सीजन से दंड की ऑटोमेटिक गणना करने के लिए एक दंड मॉड्यूल भी विकसित किया गया है।

डिजीक्लेम मॉड्यूल के कार्यान्वयन के कारण दावों के निपटान/वितरण में लगने वाला समय काफी कम हो गया है।

(ii) **कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (के.आर.पी.एच.):** इस योजना के अंतर्गत पहले से उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र को और-भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए, **के.आर.पी.एच** विकसित किया गया है। इसमें पूरे देश के लिए एक **सिंगल टोल फ्री नंबर 14447** शुरू किया गया है जिसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जिसके जरिए किसान इस योजना से जुड़ी अपनी शिकायतें/मुद्दे उठा सकते हैं। टिकट के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) बीमा कंपनियों के यूजर के लिए 0-3 दिन, प्रधान कार्यालय के यूजर के लिए 4-7 दिन, प्रधान कार्यालय एडमिन के लिए 8-12 दिन, सीजीआरओ के लिए 13-15 दिन है और 15 दिन से अधिक होने पर, इसे समाधान और उच्चतम स्तर पर बढ़ाने के लिए 15 दिनों के बाद आईआरडीएआई के बीमा भरोसा पोर्टल पर भेज दिया जाता है। प्रत्येक स्तर पर सभी शिकायतें जिला, राज्य और भारत सरकार के यूजर को दिखाई देती हैं। इससे केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को भी यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पर स्टेकहॉल्डर्स की शिकायतों की निगरानी करने में मदद मिलती है। आज तक

केआरपीएच पर 4.9 लाख कॉल प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1.90 लाख कॉल से संबंधित ई-टिकट सृजित किए गए और बीमा कंपनियों को उसपर कार्रवाई के लिए भेजे गए। शेष मामले या तो सूचना के लिए थे या परामर्श के लिए थे। जारी किए गए 1.90 लाख ई-टिकटों में से 1.83 लाख (96%) का समाधान किया गया है।

(iii) **मेरी पॉलिसी मेरे हाथ (एम.पी.एम.एच.) अभियान**: सरकार ने देशभर में बीमा पॉलिसी रसीदों को लाभार्थियों के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए **'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ'** नाम से एक महा-अभियान का भी आयोजन किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत नामांकित किसानों को फसल बीमा पॉलिसी रसीदों की हार्ड कॉपी ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से वितरित की जाती है। सभी कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें, संबंधित बीमा कंपनियों के साथ मिलकर किसानों को पीएमएफबीवाई के बारे में शिक्षित करने के लिए **'फसल बीमा पाठशालाओं'** के साथ-साथ ग्राम पंचायत स्तर पर मेगा पॉलिसी वितरण अभियान का आयोजन कर रही हैं। एमपीएमएच अभियान के तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक पॉलिसी रसीदें जारी की जा चुकी हैं, जिनमें रबी 2023-24 सीजन के दौरान 3 करोड़ से अधिक पॉलिसी रसीदें शामिल हैं। अब तक लगभग 3.47 करोड़ किसानों के लिए कुल 4,57,967 फसल बीमा पाठशालाएं आयोजित की गई हैं।

वास्तव में, अब किसान स्वेच्छा से इस योजना में शामिल हो रहे हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान इस योजना में नामांकित गैर-ऋणी किसानों का कवरेज सभी बीमित किसानों का 55% था।

(ख) और (ग): इस योजना की शुरुआत अर्थात् वर्ष 2016-17 से लेकर वर्ष 2022-23 तक, बीमा कंपनियों को प्रदान की गई केंद्रीय सरकार की प्रीमियम सब्सिडी और किसानों को भुगतान किए गए दावों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	**प्रीमियम सब्सिडी में केंद्रीय सरकार का हिस्सा (करोड़ रुपये में)**	**भुगतान किए गए दावे (करोड़ रुपए में)**
2016-17	8,652	16,809
2017-18	10,103	22,186
2018-19	12,311	29,443
2019-20	13,523	27,801
2020-21	13,022	21,222
2021-22	12,422	20,586
2022-23	12,411	18,065
योग	**82,444**	**1,56,112**

(घ) से (च): फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा/संशोधन/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और सुझावों/ रिप्रजेंटेशनो/स्टेकहॉल्डरों की सिफारिशों/अध्ययनों पर समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं। अब तक प्राप्त अनुभवों तथा विभिन्न स्टेकहॉल्डरों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा योजना को और-अधिक फार्मर-फ्रेंडली बनाने के लिए, सरकार द्वारा वर्ष 2018, 2020 और 2023 में पी.एम.एफ.बी.वाई. के ऑपरेशनल गाइडलाइन्स को व्यापक रूप से समय-समय पर संशोधित किया गया है। वर्तमान में, फसल बीमा के नियमों को सरल बनाने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
